

## पृथ्वी दिवस 2024

यह एडटोरियल 22/04/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Preparing India for water stress, climate resilience" लेख पर आधारित है। इसमें पृथ्वी दिवस 2024 के बहाने जल संकट, अंडमान-नकोबार दीवीप समूह में प्रगति के कदम और लगि, जलवायु, पोषण एवं खाद्य मूल्य शृंखलाओं को दायरे में लेने वाले एक नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता को संबोधित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

### प्रलिमिस के लिये:

**भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)**, **पृथ्वी दिवस**, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW), **संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रपोर्ट 2020**, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI), **कायाकल्प और शहरी परविरतन पर अटल मशिन (AMRUT) 2.0**, **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायति**, **अंडमान और नकोबार दीवीप समूह**।

### मेन्स के लिये:

जैवविधिता और पर्यावरण के संरक्षण में पृथ्वी दिवस, 2024 का महत्व।

चूँकि **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** ने वर्ष 2024 में अधिक ग्रम गरीषमकाल और सुदीर्घ गरीषम लहर या 'लू' का पूरवानुमान व्यक्त किया है, भारत को जल तनाव (water stress) के लिये तैयार रहना चाहिये। चुनौती यह है कि नागरिक ग्रमी, जल या चरम मौसम के तीव्र तनाव को अस्थायी मानने की प्रवृत्तिरिखते हैं, जिसे प्रायः आपदा राहत के रूप में निपिटा जाता है। हमें आपदा के आ जाने पर घबराहट भरी प्रतक्रिया देने से आगे बढ़ते हुए हमारे समक्ष विद्यमान जोखियों की दीर्घकालिक प्रकृति को समझने और फिर प्रतक्रिया देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जलवायु कार्रवाई को कुछ क्षेत्रों या व्यवसायों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, न ही पर्यावरणीय संवहनीयता के उपायों को कुछ दिनों के लिये आयोजित पौधारोपण अभियान की खानापूरी तक सीमित किया जा सकता है।

इसमें **अंडमान और नकोबार दीवीप समूह** जैसे आदिवासी संघन क्षेत्रों का संरक्षण करना भी शामिल है। सहस्राब्दियों से, ऐतिहासिक रूप से अलग-थलग रहे ये मूलनवासी जीविका के लिये संसाधन भंडार के रूप में इन दीवीपों पर नरिभर रहे हैं और इनकी रक्षा की है। इस वर्ष का **पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल)** हमारे लिये एक 'वक-अप कॉल' बने। जलवायु ही अब अत्यधिक उत्पादन सीमा का विस्तार या संकुचन इस पर नरिभर करेगा कि हम भूमि, खाद्य, ऊर्जा और जल के बीच के अंतर्संबंधों को कसि प्रकार समझते हैं।

हालाँकि भारत का लक्ष्य **वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य GHG उत्सर्जन** हासलि करना है (जो मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वृहत संकरमण से प्राप्त किया जाना है), लेकिन विकासात्मक या संवहनीयता परिणामों पर इस तरह के संकरमण के नहितारथ स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर संपर्ष नहीं हैं।

### पृथ्वी दिवस (Earth Day) क्या है?

#### ■ पृष्ठभूमि:

- पृथ्वी दिवस पहली बार वर्ष 1970 में मनाया गया था जब अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन (Gaylord Nelson) के आह्वान पर लगभग 20 मिलियन लोग पर्यावरणीय क्षरण का वरिध करने के लिये सड़कों पर उत्तरे थे।
- यह घटना वर्ष 1969 के सांता बारबरा तेल रसियाके साथ-साथ धुंध (smog) और प्रदूषित नदियों जैसे अन्य मुद्दों से उत्प्रेरित हुई थी।
- वर्ष 2009 में **संयुक्त राष्ट्र (UN)** ने 22 अप्रैल को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस' (International Mother Earth Day) के रूप में निर्दिष्ट किया।


#### ■ परचिय:

- पृथ्वी दिवस को वर्तमान में वैश्वकि स्तर पर EARTHDAY.ORG द्वारा समन्वयित किया जाता है, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसे पहले 'अर्थ डे नेटवर्क' (Earth Day Network) के नाम से जाना जाता था।
- इसका उद्देश्य "लोगों और पृथ्वी के लिये रूपांतरणकारी परविरतन लाने के लिये विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन का निर्माण करना" है।
- ऐतिहासिक **पेरसि समझौता**—जो वैश्वकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये एक साझा लक्ष्य निर्धारित करने में लगभग

200 देशों को एक साथ लाता है, भी पृथ्वी दिवस के अवसर पर ही (वर्ष 2016 में) पर संपन्न हुआ था।

■ महत्वः

- यह सामूहिक उत्तरदायत्व को चहिनति करता है—जिसिका आहवान वर्ष [1992 की रयो घोषणा \(पृथ्वी शखिर सम्मेलन\)](#) में किया गया था, ताकि मानव जाति की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आरथकि, सामाजिक एवं प्रयावरणीय आवश्यकताओं के बीच सम्यक संतुलन प्राप्त करने के लिये प्रकृति और पृथ्वी के साथ सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सके।



//

नोट

■ अन्य महत्वपूर्ण दिवसः

- 22 मार्च: [बृशिव जल दिवस](#)
- 22 मई: [बृशिव जैवविधिता दिवस](#)
- 5 जून: [बृशिव प्रयावरण दिवस](#)
- 2 अगस्त, 2023: [अरथ ओवरशूट डे](#) (Earth Overshoot Day) - यह दिवस हर वर्ष अलग तिथिको आता है।

■ अरथ ऑवर (Earth Hour):

- अरथ ऑवर पृथ्वी के लिये [बृशिव वन्यजीव कोष](#) (World Wildlife Fund for Nature- WWF) की वार्षिक पहल है जो वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। यह हर वर्ष मार्च के अंतमि शनविर को आयोजित किया जाता है।
- यह 180 से अधिक देशों के लोगों को अपने स्थानीय समय के अनुसार रात 8.30 बजे से 9.30 बजे तक लाइट बंद रखने के लिये प्रोत्साहिति करता है।
- इसका उद्देश्य जलवायु परवर्तन और प्रयावरण की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

भारत में जल संकट के वभिन्न पहलू कौन-से हैं?

#### ■ अरथव्यवस्था में जल का महत्व:

- वर्षा मृदा की नमी और बनस्पति में संग्रहीत जल (green water) तथा नदियों एवं जलभूतों में उपलब्ध जल (blue water) का प्राथमिक स्रोत है। नीला और हरा जल दोनों हमारे द्वारा उगाए जाने वाले खाद्य को प्रभावित करते हैं। फसलों की सचिर्ल, फसल देखभाल एवं पैदावार और अरथव्यवस्था के लिये ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- भारत रोजगार रपोर्ट 2024 से पता चलता है कि कृषि अभी भी लगभग 45% आबादी को रोजगार प्रदान करती है और देश की अधिकांश श्रम शक्तियों अवशोषित करती है। इसी अवधि में ऊर्जा, प्रयावरण और जल परिषद (CEEW) के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में मानसून वर्षा का स्वरूप/पैटर्न बदल रहा है, जहाँ देश के 55% तहसील या उप-ज़िलों में दक्षणि पश्चिम मानसून में पछिले तीन दशकों की तुलना में पछिले दशक में वर्षा की मात्रा में 10% से अधिकी की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
  - लेकिन वर्षा की यह वृद्धि प्रायः लघु अवधि में भारी वर्षा के रूप में प्राप्त हुई है, जिससे फसल की बुआई, सचिर्ल और कटाई प्रभावित होती है। कृषिक्षेत्र को जलवायु और जल तनाव के प्रति अधिक प्रत्यास्थी बनाना रोजगार, विकास एवं संवर्धनीयता के लिये महत्वपूर्ण है।

#### ■ जलवायु संकट और जल-मौसम संबंधी आपदाओं पर इसका प्रभाव:

- संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रपोर्ट 2020 के अनुसार, पछिले दो दशकों में आई प्राकृतिकी आपदाओं में से लगभग 75% जल से संबंधित आपदाएँ थीं। CEEW के विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 1970 से 2019 के बीच भारत में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं (जैसे भूस्खलन, तूफान और बादल का फटना) की संख्या 20 गुना तक बढ़ गई। मीठा जल—जो नौ ग्रहीय सीमाओं (planetary boundaries) में से एक है, का उल्लंघन किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्रहीय सीमा का संदिधांत उन प्रयावरणीय सीमाओं का एक समूह नरिदिष्ट करता है, जिसके आगे मानव जाति सुरक्षित रूप से क्रयान्वयन नहीं कर सकती।

#### ■ जल संकट के बहुआयामी अर्थ:

- जल संकट को भौतिकी या आरथिकी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण, असंवर्धनीय कृषिप्रदूषणों, जलवायु परवर्तन, अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न, जल की अत्यधिक खपत सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न होता है।
- इनके अलावा, अकुशल जल प्रबंधन, प्रदूषण, अप्रयाप्त अवसंरचना, हतिधारकों की भागीदारी की कमी और भारी वर्षा के कारण अपवाह, मृदा का कटाव और तलछट का निर्माण भी जल संकट में महत्वपूर्ण भूमिका नाभिते हैं।

#### ■ जल तनाव के मुद्दे:

- विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute) के अनुसार, 17 देश जल तनाव के 'अत्यंत उच्च' स्तर का सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों के बीच संघर्ष, असंतोष और शांतिका खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं है।
- भारत में जल की उपलब्धता पहले से ही इतनी कम है कि इसके जल तनावग्रस्त देश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें वर्ष 2025 तक 1341m<sup>3</sup> तथा वर्ष 2050 तक 1140m<sup>3</sup> तक और कमी आने का अनुमान है। इसके अलावा, समस्त जल निकासी का 72% कृषि में, 16% नगर निकायों द्वारा घरों एवं सेवाओं के लिये और 12% उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है।

#### ■ भूजल स्तर में गरिवत:

- भारत के लगभग प्रत्येक राज्य और मुख्य शहरों में भूजल स्तर में कमी आ रही है। बैंगलुरु इसका एक प्रमुख उदाहरण है। पंजाब, राजस्थान, दलिली और हरयाणा में भूजल खपत एवं उपलब्धता का अनुपात क्रमशः 172%, 137%, 137% और 133% है, जो खतरे की स्थितिको इंगति करता है।
  - इसके विपरीत, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह क्रमशः 77%, 74%, 67%, 57% और 53% है। अधिकांश बारहमासी नदियाँ/धाराएँ अब उक्त-कर कर बह रही हैं या सूख गई हैं। अपरैल-मई के बाद अधिकांश क्षेत्रों में पेय और अन्य उपयोग के लिये जल की उपलब्धता कम हो जाती है।

#### ■ घरेलू और कृषिक्षेत्रों में स्वृद्धव्यवस्थिति दृष्टकोण का अभाव:

- परधानमंत्री कृषिसचिर्ल योजना, वाटरशेड प्रबंधन, मशिन अमृत सरोवर और जल शक्तिअभियान जैसे विभिन्न कार्यकरमों के अंतर्गत 'प्रति बूँद अधिकी फसल', 'गाँव का जल गाँव में', 'खेत का जल खेत में', 'हर मेड़ पर पेड़' आदिपर सरकार का बल घरेलू और कृषिउपयोगों के संबंध में एक 'साइलो' या गैर-समन्वयिति दृष्टकोण अपनाता है।
  - इस परदिव्य में, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे व्यापक एवं समकालिक स्थानीय हस्तक्षेप को अपनाना अनविराय है जो जल के उपयोग एवं संरक्षण के सभी पहलुओं पर समान बल देता है।

#### ■ जलग्रहण क्षेत्रों पर नरितर अतिक्रमण:

- झील, तालाब और नदियों जैसे लघु जल निकाय (Small Water Bodies- SWBs) उनके जलग्रहण क्षेत्रों पर अतिक्रमण के कारण लगातार खतरे का सामना कर रहे हैं। शहरीकरण के विस्तार के साथ लोग इन जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्रों में और उसके आसपास घर, वाणिजिकी भवन तथा अन्य अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं।
  - 1990 के दशक से देखे गए शहरी संकुलन ने लघु जल निकायों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और उनमें से कई को कूड़ा-क्षेत्र या 'डंपगी ग्राउंड' में बदल दिया है। जल संसाधन पर स्थानीय समति(2012-13) ने अपनी 16वीं रपोर्ट में रेखांकित किया था कि देश के अधिकांश जल निकायों पर स्वयं राज्य एजेंसियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

## जल संकट को कम करने के लिये आवश्यक कदम

#### ■ प्रभावी जल प्रशासन:

- प्रभावी जल प्रशासन के लिये ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो खाद्य एवं ऊर्जा प्रणालियों के साथ इसकी अंतःक्रयिया की पहचान करें। हालाँकि, CEEW और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI) के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने विभिन्न नीतियों अपनाई हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश योजना नारिमाण के समय या कार्यान्वयन चरण में इस गठजोड़ को चहिनति करने में वफ़िल रही हैं।
  - उदाहरण के लिये, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाना वांछनीय है, जल की उपलब्धता के साथ इसके संबंध पर हमेशा विचार नहीं किया जाता है। इसी तरह, भूजल स्तर पर सौर संचारित पंपों को बढ़ाने के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिये ताकि उस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए जहाँ सौर संसाधन और उच्च भूजल स्तर का इष्टटतम मशिरण प्राप्त हो। नीतियों में

स्थानीय साक्ष्य और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से खाद्य-भूमि-जल संबंध को शामिल किया जाना चाहिए।

#### ■ ब्लू और ग्रीन वाटर का संवहनीय उपयोग:

- भारत को जल लेखांकन और कुशल पुनः उपयोग के माध्यम से 'ब्लू वाटर' एवं 'ग्रीन वाटर' के विकापूरण उपयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जल मणिन का लक्ष्य वर्ष 2025 तक जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना है। इसी तरह, कायाकल्प और शहरी परविरतन के लिये अटल मणिन (अमृत - AMRUT) 2.0 गैर-राजस्व जल को (जो अंतमि उपयोगकर्ता तक पहुँचने से पहले ही खो जाता है) शहरी स्थानीय निकायों में 20% से कम करने का आहवान करता है।

#### ■ जलवायु अनुकूलन के लिये वित्तीय साधनों का लाभ उठाना:

- जल क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन के लिये धन जुटाने हेतु वित्तीय साधनों का लाभ उठाया जाए। वैश्वकि उझानों का अनुसरण करते हुए, भारत की जलवायु कारखाई मुख्य रूप से औद्योगिक, ऊर्जा और परविहन क्षेत्रों में शमन पर केंद्रित रही है।
- जल और कृषि क्षेत्रों में जलवायु परविरतन अनुकूलन के लिये वित्तीय प्रतिविधियाँ अभी भी अपेक्षाकृत छोटी हैं। वर्ष 2019-20 में (जिसके लिये कुल अनुमान उपलब्ध हैं) जलवायु परविरतन शमन पर प्रतिविधिक व्यय लगभग 2,200 रुपये था, जबकि अनुकूलन के लिये यह मात्र 260 रुपए था।

#### ■ पारंपरिक और नई प्रौद्योगिकियों के विकापूरण मणिन को अपनाना:

- भारत के खाद्यानन की एक बड़ी मात्रा वर्षा-संचयिति क्षेत्र से प्राप्त होती है। सरकार 'मृदा के स्वास्थ्य में सुधार और जल संरक्षण के लिये पारंपरिक स्वादेशी एवं नई प्रौद्योगिकियों के विकापूरण मणिन' पर बल देती है तथा जल की हर बूँद के कुशल उपयोग का आग्रह रखती है। इसलिये इन बटिओं पर ध्यान देना आवश्यक है।
- मात्रा और गुणवत्ता तथा ब्लू और ग्रीन वाटर के संबंध में जल की उपलब्धता बढ़ाना महत्वपूरण है क्योंकि जल महज बुनियादी मानव अधिकार तक सीमित विषयावात्ता और मात्रा दोनों पर बल देना:
- यह नहीं है। जल शांति-निर्माण का भी एक साधन है और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। संवहनीय कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, जल सुरक्षा सुनिश्चयित करना और पर्यावरणीय अंडांता बनाए रखना तेज़ी से महत्वपूरण मुद्दे बनते जा रहे हैं।

#### ■ वभिन्न संसाधन संरक्षण उपायों को अपनाना:

- सामान्य रूप से वभिन्न संसाधन संरक्षण उपायों को अपनाकर और वर्षा जल संचयन (स्व-स्थाने और बाह्य-स्थाने) तथा वशिष्ट रूप से छत के ऊपर वर्षा जल संचयन सुनिश्चयित कर जल संकट का शमन संभव किया जा सकता है।
- वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting- RWH) पुनर्भरण को बढ़ाकर और संचाइ में सहायता कर जल की कमी तथा सूखे के विविध प्रत्यास्थिता को सक्षम करता है। बड़े पैमाने के RWH संरचनाओं द्वारा सतही जल का इष्टतम उपयोग, भूजल के साथ संयुक्त उपयोग और अपशिष्ट जल का सुरक्षित पुनः उपयोग खाद्यानन उत्पादन के वर्तमान स्तर को बढ़ावा देने तथा इसे बनाए रखने के लिये एकमात्र व्यवहार्य समाधान है।

#### ■ जल निकायों के पुनरुद्धार के लिये एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता:

- जल निकायों के पुनरुद्धार के लिये एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। समस्याओं से निपटने के लिये प्रत्येक जलाशय की स्थिति, उसकी जल उपलब्धता, जल की गुणवत्ता और उसके द्वारा समर्थित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की स्थिति का अध्ययन करने की प्रबल आवश्यकता है। प्रत्येक जल निकाय के जलाशय-भंडारण-कमांड क्षेत्र पर ध्यान देकर प्रत्येक गाँव में अधिक जल निकाय का निर्माण करने और उनका पुनरुद्धार करने की भी आवश्यकता है।

## पृथ्वी दविस, 2024 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) में जनजातीय आबादी के लिये क्या अर्थ रखता है?

#### ■ चतिएँ:

- मूलनिवासी भूमि-स्वामतिव और प्रबंधन प्रणालियों की उपक्रम:
  - मई 2022 में मूलनिवासी भूमि-स्वामतिव और प्रबंधन प्रणालियों की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए अंडमान और निकोबार प्रशासन ने तीन सारवजनिक अधिसूचनाएँ जारी की, जहाँ तीन वन्यजीव अभयारण्यों के निर्माण की मंशा की घोषणा की गई: मेरो द्वीप पर एक मूंगा अभयारण्य, मैन्चल द्वीप में एक मेगापोड अभयारण्य और लटिल निकोबार द्वीप पर एक लेटरबैक टर्टल अभयारण्य।
- परामर्श एवं समन्वय का अभाव:
  - लगभग 1,200 दक्षिणी निकोबारी आदविसी पटाई ताकारू (Patai Takaru, Great Nicobar Island) और पटाई त-भी (Patai t-bhi, Little Nicobar Island) में निवास करते हैं जहाँ वे बसावट वाले तथा कथति तौर पर 'निर्जन' द्वीप, दोनों पर पारंपरिक अधिकार रखते हैं। लेकिन अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अपनी योजनाओं के बारे में दक्षिणी निकोबारी लोगों से न तो परामर्श किया और न ही उन्हें सूचित किया।
- जनजातीय अधिकारों का हनन:
  - जुलाई 2022 के मध्य में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि उसे तीन प्रस्तावित अभयारण्यों के भीतर भूमि-एवं समुद्री क्षेत्रों के संबंध में कसी भी व्यक्ति से कोई दावा या अपत्ति प्राप्त नहीं हुई और प्रस्तावित अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर कसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि "राष्ट्रीय हति में... पड़ोसी क्षेत्र के लोगों के इन द्वीपों में प्रवेश पर प्रतिबंध होगा।"
- गैलाथयि खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना रद्द करना:
  - इन नए वन्यजीव अभयारण्यों की घोषणा ऐसे समय की गई है जब ग्रेट निकोबार द्वीप (एक यूनेस्को बायोसफीयर रजिस्टर) पर 72,000 करोड़ रुपए की मेंगा परयोजना के लिये गैलाथयि खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना को रद्द करने के लिये विशेषज्ञों द्वारा सरकार की आलोचना की जा रही है।
  - एक ऐसे क्षेत्र में अपवर्जनकारी संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना करना, जो पहले से ही जैवविविधिता के लिये स्वर्ग है, इस तथ्य से प्रेरित है कि मेंगा परयोजना की वकालत करने वाले इस परयोजना से होने वाले व्यापक पर्यावरणीय एवं सामाजिक क्षति से अवगत हैं।

- यह परियोजना 8-10 सदाबहार वृक्षों को तबाह करेगी, गैलाथयि खाड़ी के कनिरे पाए जाने वाले सैकड़ों प्रवाल भत्तियों को नष्ट कर देगी, वैश्वकि सत्र पर लुप्तप्राय लेदरबैक समुद्री कछुआ प्रजातियों के नेस्टिंग स्थल को क्षतिपूँचाएगी, नकिबार मेगापोड्स के सैकड़ों नेस्टिंग टीलों को नष्ट कर देगी और बड़ी संख्या में मगरमच्छों की मौत का कारण बनेगी।

#### ■ सुझाव:

- **संतुलित विकास:** अंडमान-नकिबार का सैन्धीकरण और वहाँ अवसंरचनात्मक एवं विकासात्मक परियोजनाओं से निस्तंदेह भारत की रणनीतिक एवं समुद्री क्षमताओं को मदद मलैगी, लेकिन ऐसा विकास इस जैवविधिता हॉटस्पॉट के निम्न दोहन की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिये।
- **अंडमान-नकिबार का संवहनीय विकास:** इसकी आरथिक, पारस्थितिक एवं प्रयावरणीय बाधाओं और मूलनविसी जनजातियों की रक्षा के लिये मौजूद कानूनों को देखते हुए, अंडमान-नकिबार द्वीप समूह को संवहनीय रूप रूप से विकसित करना होगा ताकि इसकी आरथिक एवं सैन्य क्षमता को अधिकितम किया जा सके।
  - एक संवहनीय द्वीप विकास ढाँचा न केवल अंडमान-नकिबार के लिये महत्वपूर्ण है, बल्कि हिंद महासागर के अन्य द्वीप देशों के लिये भी प्रवरतनीय एवं चुच्ची का विषय होगा।
- **'सिस्टर आइलैंड्स':** उपर्युक्त चार द्वीप क्षेत्रों में से रीयूनियन द्वीप (फरांस) सबसे विकसित द्वीप क्षेत्र है, जिसकी रूपरेखा द्वीप की आरथिक आवश्यकताओं के साथ-साथ हिंद महासागर में फरांस की सैन्य प्राथमिकताओं, दोनों का समर्थन करती है।
  - 'सिस्टर स्टीज़' के विचार से परेरणा लेते हुए 'सिस्टर आइलैंड्स' की रूपरेखा तैयार की जा सकती है।
  - भारत और फरांस को अंडमान और रीयूनियन के अपने द्वीप क्षेत्रों का उपयोग कर सिस्टर आइलैंड्स या सहयोगी द्वीपों की अवधारणा विकसित करने के प्रयास का नेतृत्व करना चाहिये, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में द्वीप विकास के लिये एक स्थायी मॉडल की नीव तैयार करना हो।
  - सिस्टर स्टीज़ के समान सिस्टर आइलैंड्स की अवधारणा भारत और फरांस को द्वीप विकास के लिये एक संवहनीय ढाँचा विकसित करने की अनुमति दिएगी।
- **हिंद-प्रशांत में भारत की विकास योजनाएँ:** यदि भारत को हिंद महासागर में क्षमता निर्माण पहल और समुद्री परियोजनाओं में निवाश करना है तो विकास के लिये अनुसंधान करने तथा एक आइलैंड मॉडल का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस तरह का दृष्टिकोण हिंद-प्रशांत में भारतीय नेतृत्व वाली पहल के लिये एक नए अवसर के द्वारा भी खोलेगा।
  - चूँकि भारत और उसके भागीदार देश साझा हतियों की परापतिके लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पहुँच एवं प्रभाव के लिये प्रतिसिपरदधा रखते हैं, इसलिये रणनीतिक रूप से स्थिति द्वीप देशों की क्षेत्रीय चतियों एवं चुनौतियों से जुड़ने तथा उनका समाधान करने की आवश्यकता है।
- **IOC की भूमिका:** हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission- IOC) हिंद महासागर में एकमात्र द्वीप संचालित संगठन है। यह पश्चिमी हिंद महासागर में अवस्थित द्वीपों की चतियों और चुनौतियों को आवाज़ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - फरांस ने हाल ही में IOC के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। भारत वर्ष 2020 में ऑपचारकि रूप से एक प्रयोक्षक के रूप में इस समूह में शामिल किया गया था।
  - यह दोनों देशों को द्वीप-केंद्रत विकास मॉडल का नेतृत्व करने का एक अवसर प्रदान करता है।
  - भारत हिंद महासागर के साथ-साथ प्रशांत क्षेत्र में भी फरांस के द्वीपीय अनुभवों से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है।

## अंडमान और नकिबार द्वीप समूह:

### इतिहास:

- अंडमान और नकिबार द्वीप के साथ भारत का संबंध वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात से है, जब अंग्रेज़ों ने भारतीय क्रांतिकारियों के लिये वहाँ एक दंड कॉलोनी (penal colony) की स्थापना की थी।
- इन द्वीपों पर वर्ष 1942 में जापानियों ने कब्ज़ा कर लिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोरट ब्लेयर के दौरे के बाद वर्ष 1943 में ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला यह भारत का पहल भूभाग बना।
- वर्ष 1945 में जापानियों के आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेज़ों ने इन द्वीपों पर पुनः कब्ज़ा कर लिया, जो भारत की स्वतंत्रता की पूरव संध्या भारत को सौंप दिये गए।
- वर्ष 1962 में एक चीनी पन्डुबबी को लेकर उभरी चति के कारण वहाँ एक नौसैनिक दुर्ग की स्थापना की गई। वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद देश की सुरक्षा समीक्षा करते हुए पोरट ब्लेयर में अंडमान नकिबार कमांड (ANC) की स्थापना की गई, जो भारत की पहली संयुक्त एवं एकीकृत परचिलन कमान थी।
- वर्ष 2001 में स्थापित ANC, भारत की पहली संयुक्त या एकीकृत परचिलन कमान है, जो तीनों सैन्य सेवाओं के साथ ही तटरक्षक बल को एक ही कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखती है।

### प्रमुख तथ्य:

- 10 डिग्री चैनल एक संकीर्ण जलडमरमध्य है जो अंडमान द्वीप समूह को नकिबार द्वीप समूह से अलग करता है। यह लगभग 10 डिग्री अक्षांश पर स्थिति है।
- इंदरिय पॉइंट नकिबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह ग्रेट नकिबार द्वीप पर स्थिति है और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को चिह्नित करता है।
- अंडमान-नकिबार 5 विशेष रूप से संवेदनशील/भेद्य जनजातीय समूहों का आवास है जिसमें ग्रेट अंडमानीज़, जारवा, ओगेस, शोम्पेन और उत्तरी सेंटनिलीज़ शामिल हैं।



## पृथ्वी दिवस, 2024 सर्वोपरासमाधान के रूप में एक नीतिगत ढाँचे के विकास को क्यों निर्दिष्ट करता है?

- लगि, जलवायु और पोषण के इंटरसेक्शन पर नीतिगत ढाँचा:
  - सतत/संवहनीय विकास और सामाजिक समता से संबंधित जटलि मुद्दों के समाधान के लिये लगि, जलवायु, पोषण और खाद्य मूल्य शृंखलाओं के इंटरसेक्शन पर एक नीतिगत ढाँचा विकसित करना आवश्यक है। यह ढाँचा इन कारकों के अंतर्संबंध को पहचानता है और इसका लक्ष्य उन नीतियों एवं कार्यक्रमों में लगि पराप्रेरकश्य को एकीकृत करना है जो जलवायु परवर्तन को संबोधित करते हैं, पोषण को बढ़ावा देते हैं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- खाद्य प्रणालियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान करना:
  - पोषण पर रोम घोषणापत्र (Rome Declaration on Nutrition) सभी के लिये प्रयाप्त, सुरक्षिति, विविधि और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य उपलब्ध कराने में मौजूदा खाद्य प्रणालियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को रेखांकित करता है। दुनिया भर में लगभग 800 मलियन लोगों के पास खाद्य तक विश्वसनीय पहुँच नहीं है।
    - दोबलियन लोग आयरन और जकि की कमी से पीड़िति हैं। वर्तमान में खाद्य प्रणालियाँ विश्व के एक तहिई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये भी ज़मिनेदार हैं। इस घोषणापत्र में सतत विकास लक्ष्यों के अनुपालन के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने के लिये बहुआयामी दृष्टकोण अपनाने का आहवान किया गया है।
- संवहनीय आहार को बढ़ावा देना:
  - भारत सर्वयं कई प्रकार के कृपोषण से पीड़िति है: पाँच वर्ष से कम आयु के 32% बच्चे कम वजन रखते हैं और 74% आबादी सर्वस्थ आहार का वहन नहीं कर पाती है। अस्वास्थ्यकर आहार के कारण गैर-संचारी रोगों की व्यापकता में वृद्धि हो रही है।
    - हालाँकि, यह भी तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आहार की संवहनीयता एवं पोषक तत्वों को समझाने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
    - भारत के लिये अब यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या सर्वस्थ आहार जलवायु परवर्तन को कम करने में भी मदद कर सकता

है। एक संवहनीय आहार के लिये स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मांगों की पूरता किरना, सांस्कृतिक अपेक्षाओं को पूरा करना, आरथिक आवश्यकताओं को संबोधित करना और न्यायपूरण होना आवश्यक है।

■ लैंगकि रूप से न्यायपूरण खाद्य मूल्य प्रणालियाँ वकिसति करना:

- खाद्य-प्रणाली की महत्वपूरण हतिधारक होने के बावजूद महलिएँ जलवायु परविरतन और खराब पोषण से वशीष रूप से प्रभावित होती हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ समुदायों में लैंगकि रूप से अधिक न्यायपूरण खाद्य प्रणालियाँ मौजूद हैं। ये ऐसी प्रणालियाँ हैं जो महलियों को उत्पादक एवं प्रजनक दोनों अरथव्यवस्थाओं में समान अधिकार एवं पात्रता, कम परश्वरम, अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकियों तक पहुँच की क्षमता और ज़मीमेदारियों के समान वितरण के साथ बराबर की योगदानकर्ताओं के रूप में मान्यता देती हैं।

• छत्तीसगढ़ में लैंगकि रूप से अधिक न्यायपूरण खाद्य प्रणाली वाले समुदायों को सुखे जैसे आघातों के प्रतिअधिक प्रत्यास्थी देखा गया। जब महलियों का समूह अपनी आजीविका के बारे में निर्णय लेने में शामिल होता है तो उन्हें वित्तीय संपत्तियों, प्राकृतिक संसाधनों और ज़्जान तक बेहतर पहुँच प्राप्त होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है किंविं फरि अधिक उत्पादक सदिध होती है और बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी परणिम रखती है।

■ स्वदेशी प्रणालियों को अपनाना:

- भारत भर में स्वदेशी खाद्य प्रणालियों ने हजारों पीढ़ियों से समुदायों का पालन किया है। वे मुख्य रूप से न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ आसपास के प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग जंगलों में रहते हैं और खाने योग्य शाक, गूदेदार फल, जड़-मूल सब्जियाँ, मशूम, अनाज, वभिन्न वन उपज और जंगली मांस का सेवन करते हैं।
- स्थानीय समुदायों के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य के आधार पर उनके आहार पर कार्य करने से उनकी पोषण स्थितियों सुधार हुआ है तथा प्रयावरण को न्यूनतम हानि पहुँची है।

■ उत्सर्जन में कमी:

- अधिक पश्चु-आधारित खाद्य पदारथों की तुलना में अधिक पादप-आधारित खाद्य पदारथों वाला आहार प्रयावरण की दृष्टियों से अधिक संवहनीय होता है। पश्चु-आधारित खाद्य पदारथों को पादप-आधारित खाद्य पदारथ और डेयरी विकल्पों से प्रत्यस्थापित किया जा सकता है। ऐसे पादपों को अपनाने की भी आवश्यकता है जो कम ऊर्जा, भूमि और जल का उपभोग करते हैं, जिसके परणिमसवरूप कम उत्सर्जन होता है।
- शोधकर्ताओं ने पाया है कि ऐसे वातावरण में उगाई जाने वाली फसलों में प्रोटीन, लौह और जस्ता की सांदरता 3-17% कम हो सकती है जहाँ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (CO<sub>2</sub>) की सांदरता 550 ppm है (उस स्थितियों की तुलना में जब CO<sub>2</sub> की सांदरता 440 ppm हो)।
  - इस चेतावनी को देखते हुए, हमें समुदायों को प्राप्त होने लाभों को बेहतर बनाने के लिये एक मूल्य-शृंखला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जैसे कि उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ घरेलू स्तर से उनके आहार विकल्पों/आवश्यकताओं को अनुकूलता करना।

■ खाद्य उत्पादन प्रणालियों का स्तर वसितार और वकिंद्रीकरण:

- विविध खाद्य उत्पादन प्रणालियों का स्तर बढ़ाने (साथ ही वकिंद्रीकरण करने), कम उपयोग वाले स्वदेशी खाद्य पदारथों को बढ़ावा देने और लगि, जलवायु, पोषण एवं खाद्य मूल्य शृंखलाओं के इंटरसेक्शन पर एक वशिलेषणात्मक ढाँचा वकिसति करने की तत्काल आवश्यकता है।
  - केवल पौष्टिक खाद्य पर ध्यान केंद्रित करने से प्रयावरण पर खाद्य प्रणालियों के प्रभाव को कम करने में मदद नहीं मिलिये। खाद्य के उत्पादन और वितरण से जुड़े उत्सर्जन की निरितर एवं व्यापक निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहयि तथा यह सुनिश्चित करना चाहयि कि संबंधित मूल्यांकन साधन स्थानीय समुदायों के लिये भी अधिक सुलभ हों।

## नष्टिकरण

यह अपेक्षा करना कि विवरण स्थान परविरतन रातोरात हो जाएगा, अवास्तविक है। लेकिन जल, ऊर्जा एवं जलवायु नीतियों में अधिक सामंजस्य स्थापित करने, जल बचत बढ़ाने के लिये डेटा-संचालित आधार रेखाओं का सृजन करने और अनुकूलन निविश के लिये नए वित्तीय साधनों एवं बाजारों को सक्षम करने के रूप में एक शुरुआत करना संभव है। जल-सुरक्षित अरथव्यवस्था जलवायु-प्रत्यास्थी अरथव्यवस्था की दिशा में पहला कदम है।

इसी प्रकार, मूलनवासी/स्वदेशी लोग हमारी पृथग्वी के मूल संरक्षक हैं। दुनिया को उनकी बुद्धिमत्ता से सीखना चाहयि। तरक और न्याय यह निरिदेशित करते हैं कि दिक्षणी नकोबार में द्वीपवासियों को उनकी भूमि, सासाधनों, जीवनशैली और वशिव के प्रति दृष्टिकोण से वंचित करने के बजाय, उनके पैतृक क्षेत्रों पर उन्हें बनाये रखने के लिये उनके समर्थन एवं सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

इस बात के प्रबल साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि विविध खाद्य उपभोग का पोषण और प्रति विक्रति उत्सर्जन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। केवल पौष्टिक आहार पर ध्यान केंद्रित करने से प्रयावरण पर प्रभाव का आकलन करने और उसे कम करने में मदद नहीं मिलिये; आहार को उत्सर्जन से जोड़कर भी इसका समर्थन किया जाना चाहयि। यह बदले में उत्पादन प्रणालियों को अधिक विविध, पोषण-संवेदनशील और उत्सर्जन-संवेदनशील बनाने के लिये प्रेरित कर सकता है।

**अभ्यास प्रश्न:** प्रयावरण जागरूकता और संवहनीय अभ्यासों को बढ़ावा देने में पृथग्वी दविस के महत्व पर चरचा कीजिय। लोग पृथग्वी के संरक्षण में कसि प्रकार योगदान दे सकते हैं?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. 'पृथग्वी काल' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिय। (2014)

1. यह UNEP और UNESCO का उपक्रमण है।
2. यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चिति दिन एक घंटे के लिये बजिली बंद कर देते हैं।
3. यह जलवायु परविरतन और पृथग्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाला आंदोलन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. 'वाटर क्रेडिट' (WaterCredit) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2021)

1. यह जल और स्वच्छता क्षेत्र में कार्य करने के लिये माइक्रोफाइनेंस टूल का इस्तेमाल करता है।
2. यह वैश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्व बैंक के तत्त्वावधान में शुरू की गई एक वैश्वकि पहल है।
3. इसका उद्देश्य गरीब लोगों को सबसडी पर निभर हुए बना उनकी जल की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/celebrating-earth-day,-2024>

